

वर्ग : I सदन में उत्तर देने का दिनांक : 15/07/2019

विभाग का नाम : किसान कल्याण तथा कृषि विकास

विषय : किसानों को भावांतर राशि का भुगतान ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 1998) श्रीकमल पटेल

क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) हरदा जिले सहित म.प्र. के किस-किस जिले में कुल कितने किसानों की सोयाबीन, मक्का, मूंग सहित अन्य फसलों के भावान्तर की कितनी राशि कब से किसानों को भुगतान नहीं की गई? जिलेवार, फसलवार विवरण दें? (ख) मध्यप्रदेश में किसानों को अपनी फसलों की भावांतर राशि अभी तक नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं? इसके लिए कौन दोषी हैं? (ग) मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा? (घ) मध्यप्रदेश में किसानों को भावांतर की राशि शीघ्र भुगतान के लिए विभाग/शासन ने क्या कार्यवाही की, यदि नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या शासन की मंशा भावान्तर राशि का भुगतान करने की नहीं है?

M0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल


कार्यालयीन टीप :-

क./भा.भु.यो/वि.स/1998/तारा/2019/4052

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2019

प्रति

1. कलेक्टर, जिला - (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1998 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, जिला- (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1998 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
3. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त) की ओर। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1998 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित आज ही भिजवाने का कष्ट करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव/नोडल मंडी सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)। कृपया विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1998 तारांकित का उत्तर परिशिष्ट/जानकारी सहित संभागीय कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। उत्तर की प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय को न भेजी जावें।


उप संचालक (भा.भु.यो.)
M0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल